

an>

Title: Need to change the name of 'Bombay High Court' as 'Mumbai High Court'.

**श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावत)** ः महाराष्ट्र सरकार ने 17 फरवरी, 2005 को ""बोम्बे उच्च न्यायालय"" का नाम बदलकर ""मुंबई उच्च न्यायालय"" करने की सूचना प्राप्त की थी और केंद्र सरकार के विधि और न्यायालय मंत्रालय ने इस संबंध में पत्रों के माध्यम से सूचित किया था कि ""मुंबई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय"" के नाम बदले जाने हेतु अलग से अधिनियम जारी किये जायेंगे और दिनांक 04 फरवरी, 2015 को पत्र के माध्यम से बताया गया कि यह विषय केन्द्र के पास विचाराधीन है।

महाराष्ट्र सरकार इस विषय के संबंध में निरंतर केंद्र सरकार से पत्र व्यवहार कर रही है और आखिरी पत्र 29 दिसम्बर, 2015 को भेजा गया था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस विषय पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ""बोम्बे उच्च न्यायालय"" का नाम बदलकर ""मुंबई उच्च न्यायालय"" करने सम्बंधी विषय को जल्दी मंजूरी प्रदान करे।